

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-एफ-7 ( 4) प्रवेशनीति/अकाद/निकॉशि/2020-21/पार्ट 1146

दिनांक:- 2-9-2020

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान ।

विषय:- स्नातक पार्ट- प्रथम वर्ष के लिए ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया बाबत ।  
संदर्भ:- निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ-7 ( 4) विविध/अकाद/अकॉशि/2020/1066  
दिनांक 24-07-2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा स्नातक पार्ट-प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाईन प्रवेश कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन की स्थिति में छात्रहित में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के छात्र जो कि अन्तरिम वरियता सूची व प्रतीक्षा सूची में शुल्क जमा कराने से वंचित रहे की ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है। ऐसे सभी विद्यार्थियों जो शुल्क जमा कराने से वंचित रह गये, का शुल्क जमा करवाना प्राचार्या सुनिश्चित करें।


### सशोधित ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम - स्नातक पार्ट- प्रथम

क्र०सं.	विवरण	वार व तिथि
1	अभ्यर्थियों द्वारा ई-मित्र पर शुल्क जमा कराने की अभिवृद्धि के पश्चात अन्तिम तिथि	सोमवार-14 सितम्बर, 2020
2	प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन	गुरुवार- 17 सितम्बर 2020
3	प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	सोमवार- 21 सितम्बर 2020
4	महाविद्यालय में ऑन लाईन स्नातक पार्ट प्रथम शिक्षण कार्य प्रारम्भ	मंगलवार-22 सितम्बर, 2020

### श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये पुनः ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम

क्र०सं०	विवरण	वार व तिथि
1	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	गुरुवार- 17 सितम्बर 2020
2	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	गुरुवार- 24 सितम्बर 2020
3	प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑन लाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	शुक्रवार- 25 सितम्बर 2020
4	(अ) रिक्त स्थानों के लिये अन्तिम प्रतीक्षा की सूची का प्रकाशन	शनिवार- 26 सितम्बर 2020
5	(ब) अभ्यर्थियों द्वारा ई-मित्र कियोस्क पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	गुरुवार- 01 अक्टूबर 2020
6	प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	शुक्रवार- 02 अक्टूबर 2020
7	नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	शनिवार- 03 अक्टूबर 2020

कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच स्थिति सामान्य होने पर की जा सकेगी ।


  
 (संदेश नायक, IAS)  
 निदेशक  
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,

क्रमांक:-एफ-7 ( 4) प्रवेशनीति/अकाद/निकॉशि/2020-21/पार्ट 1146

दिनांक:- 2-9-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती ज्योति लुहाडिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. वेब प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड हेतु।

  
 संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान